रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2019/पौष 9, 1941
No. 403] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2019/ PAUSHA 9, 1941

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2019

सं.14-90/2015-खेल.समन्वय-भारत सरकार ने अखिल भारतीय खेल परिषद को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है।

1. प्रस्तावना :

खेल-कूद मानव संसाधनों के विकास के लिए अनिवार्य हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए एक सलाहकार निकाय के रूप में “अखिल भारतीय खेल परिषद” की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

2. लक्ष्य और उद्देश्य :

यह परिषद युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी। इसके लक्ष्य और उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :

(i) खेल संस्कृति का प्रसार

(ii) विभिन्न स्तरों पर खेल आयोजनों को बढ़ावा देना

(iii) उत्कृष्टता के लिए खेल विधाओं की पहचान करना और उत्कृष्टता प्राप्त करने की अवस्थाओं पर सलाह देना

(iv) देशज और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना

(v) खेलों में प्रतिभागिता और उत्कृष्टता के लिए भिन्न रूप से सक्षम नागरिकों को प्रोत्साहित करना

(vi) खेलों में प्रतिभागिता और निवेश के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करना

(vii) खेलों और खिलाड़ियों के कल्याणार्थ मानव संसाधन पूंजी के विकास के लिए सरकार को सलाह देना ।

3. परिषद का गठन : परिषद का गठन निम्नानुसार किया जाएगा ।

क्र.सं.	श्रेणी	अध्यक्ष/सदस्य
1.	अध्यक्ष (राज्य मंत्री का दर्जा, भारत सरकार)	प्रो. वी. के. मल्होत्रा
2.	राष्ट्रीय खेल परिसंघों के 2 अध्यक्ष/ महा सचिव	(i) श्री बी. पी. बैश्य (भारोत्तोलन) (ii) श्री बृजभूषण सरन सिंह (कुश्ती)
3.	4 ख्यातिप्राप्त कोच	(i) श्री लिंबा राम (तीरंदाजी) (ii) श्री महा सिंह राव (कुश्ती) (iii) सुश्री पी. टी. उषा (एथलेटिक्स) (iv) सुश्री बछेन्द्री पाल (पर्वतारोहण)
4.	3 खेल विशेषज्ञ	(i) सुश्री दीपा मलिक (एथलेटिक्स) (ii) सुश्री अंजलि भागवत (निशानेबाजी) (iii) सुश्री प्रशांति सिंह (बास्केटबाल)
5.	2 खेल प्रशासक	(i) श्री के. श्रीकांत (क्रिकेट) (ii) सुश्री अरुणिमा सिन्हा (पर्वतारोहण)
6.	विभिन्न खेल विधाओं के 6 ख्यातिप्राप्त खिलाड़ी	(i) श्री सी. होन्नपा (कबड्डी) (ii) श्री पोतसंगबाम रेनेडी सिंह (फुटबाल) (iii) श्री योगेश्वर दत्त (कुश्ती) (iv) श्री सुमाराई टेटे (हाकी) (v) श्री सुशील दोषी (क्रिकेट) (vi) श्री हरभजन सिंह (क्रिकेट)

4. **परिषद में नियुक्तियां :** परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी ।

5. **परिषद का दर्जा :** यह परिषद एक सलाहकार निकाय होगी । परिषद द्वारा दी गई सलाह पर सरकार द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा, परन्तु यह सरकार के लिए बाध्यकारी और अनिवार्य नहीं होगी ।

6. **सदस्यता :**

जब कोई सदस्य अपने पद या नियुक्ति जिसे वह धारण करता/ करती है, के कारण परिषद का सदस्य बनता है, परिषद में उनकी सदस्यता उस समय समाप्त हो जाएगी जब वह धारित उस पद या नियुक्ति पर बना नहीं रहता/ रहती ।

7. **कार्यकाल :**

सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा, परन्तु यह कि सरकार उक्त कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसी सदस्य के कार्यकाल को समाप्त कर सकती है और परिणामी रिक्त पद पर किसी अन्य प्रतिस्थानी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है ।

8. **सदस्यता का समाप्त होना :**

परिषद की सदस्यता निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति होने पर समाप्त हो जाएगी :

(i) सदस्यता जिसके लिए सदस्य को मनोनीत किया गया है, की अवधि समाप्त होने पर ।

(ii) मृत्यु, त्यागपत्र, दिवालियापन, पागलपन, नैतिक चरित्र पतन संबंधी आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि ।

(iii) जब कोई सदस्य स्वयं परिषद में कार्य करने से इंकार करता/ करती है या उसका नियोक्ता उसे परिषद में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने से इंकार कर देता/ देती है ।

(iv) जब कोई सदस्य अध्यक्ष की विधिवत अनुमति के बिना परिषद की लगातार तीन बैठकों में भाग नहीं लेता है ।

9. **सदस्यता से त्यागपत्र और इसके प्रभावी होने की तारीख :**

जब कोई सदस्य परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र देने की इच्छा प्रकट करता/ करती है, वह अपना त्यागपत्र सचिव, खेल विभाग को अग्रेषित करेगा/ करेगी, जो उस त्यागपत्र को परिषद के अध्यक्ष के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा । यह त्यागपत्र परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा ।

10. **बैठकें :**

परिषद की बैठक समय-समय पर, एक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी और इसमें देश में खेल-कूद के संवर्धन और विकास से संबंधित मामलों पर विचारा-विमर्श होगा ।

11. **सुविधाएं :**

(i) सदस्यों को परिषद की बैठकों में भाग लेने के दिनों की संख्या के लिए विद्यमान सरकारी नियमों के अनुसार गैर-सरकारी सदस्य पर लागू यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता प्रदान किया जाएगा ।

(ii) परिषद के सदस्यों के यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता तथा परिषद की बैठकों के आयोजन पर होने वाले व्यय का वहन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ।

12. **परिषद सचिवालय :**

परिषद को इसके कार्यकरण के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा आवश्यक सचिवालय सहायता प्रदान की जाएगी ।

13. **परिषद को समाप्त करना :**

यदि आवश्यक समझा जाता है, सरकार को परिषद को समाप्त करने का अधिकार होगा । ऐसी स्थिति में सदस्यों को इसके बाद बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा ।

अरुण कुमार यादव, निदेशक

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Sports)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2019

No.14-90/2015-SP.CDN - The Government of India have decided to reconstitute All India Council of Sports.

1. PREAMBLE:

Whereas games and sports are essential for development of human resources and play an important role in projecting the image of the country at international level, it has been decided to set up "All India Council of Sports" as an advisory body.

2. AIMS AND OBJECTIVES:

The Council will be an advisory body for the Ministry of Youth Affairs and Sports. It will have the aims and objectives as indicated below:

(i) Spread the culture of Sports.

(ii) Encouraging Sports Event at various levels

(iii) Identifying sports disciplines for excellence and advising on the stages for attaining excellence

(iv) Promoting indigenous and traditional games

(v) Encouraging differently-abled citizens for participating and excellence in sports

(vi) Encouraging private sector participation and investment in sports

(vii) Advising Government for development of human resource capital for Sports and welfare of athletes

3. COMPOSITION OF THE COUNCIL: Following will be the composition of the council:

Sl. No.	Category	President/Members
1.	President (in the rank of Minister of State, Government of India)	Prof. V.K. Malhotra
2.	2 Presidents / Secretary Generals of National Sports Federations	(i) Shri B. P. Baishya (Weightlifting) (ii) Shri Brijbhushan Saran Singh (Wrestling)
3.	4 Eminent Coach	(i) Shri Limba Ram (Archery) (ii) Shri Maha Singh Rao (Wrestling) (iii) Ms. P.T. Usha (Athletics) (iv) Ms. Bachendri Pal (Mountaineering)
4.	3 Sports Experts	(i) Ms. Deepa Malik (Athletics) (ii) Ms. Anjali Bhagwat (Shooting) (iii) Ms. Prashanti Singh (Basketball)
5.	2 Sports Administrators	(i) Shri K. Srikant (Cricket) (ii) Ms. Arunima Sinha (Mountaineering)
6.	6 Former Eminent Sportsperson from different sports disciplines	(i) Shri C. Honnapa (Kabaddi) (ii) Shri Poatsangbam Renedy Singh (Football) (iii) Shri Yogeshwar Datt (Wrestling) (iv) Shri Sumarai Tete (Hockey) (v) Shri Sushil Doshi (Cricket) (vi) Shri Harbhajan Singh (Cricket)

4. APPOINTMENTS IN THE COUNCIL: Appoitment of the President and members of the Council shall be made by the Government.

5. STATUS OF THE COUNCIL: The Council will be an advisory body. While the advice rendered by the Council will be duly considered by the Government, it will not be binding and obligatory on the government.

6. MEMBERSHIP:

Where the person becomes a member of the Council by virtue of his office or appointment which he/she holds, his/her membership of the Council shall terminate when he/she ceases to hold that office or appointment.

7. TENURE:

The term of all members shall be three years provided that the government may terminate tenure of any member before completion of the said term and fill-up the resultant vacancy with any other person.

8. TERMINATION OF MEMBERSHIP:

The membership of the Council shall terminate in the event of any of the following:

(i) On expiry of the period of memobership for which nominated.

(ii) Death, Resignation, Insolvency, Lunacy, Conviction in criminal offences involving moral turpitude.

(iii) When a member himself/herself declines to serve the Council or his/her empoyer refuses to grant him/her permission to serve the Council.

(iv) When a member does not attend three consecutive meetings of the Council without propoer leave of the Chairperson.

9. RESIGNATION FROM MEMBERSHIP AND DATE OF ITS EFFECT:

When a member desires to resign his/her membership of the Council, he/she shall forward his/her letter of resignation to the Secretary, Department of Sports, who shall submit the same for consideration of the Chairperson of the Council. The resignation shall take effect from the date of its acceptance by the Chairperson of the Council.

10. MEETINGS:

The Council may meet from time to time, at least once in a quarter, and deliberate on matters relating to the promotion and development of sports and games in the country.

11. PRIVILEGES:

(i) The members will be provided TA/DA, as per extant government rules, applicable to non-official member, for attending the meetings of the Council for the days of its meetings.

(ii) The expenditure on TA/DA of the members of the Council and convening of the meetings of the Council will be borne by the Sports Authority of India.

12. COUNCIL SECRETARIAT:

Necessary secretarial assistance will be provided to the Council by the Sports Authority of India (SAI) for its functioning.

13. WINDING UP OF THE COUNCIL:

The Government will be empowered to wind up the Council in case it is deemed necessary. In such an event, the members will have no legal right to continue thereafter.

ARUN KUMAR YADAV, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.12.30 16:45:31 +05'30'